

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2019

विषय: प्रदेश में छुट्टा गौ-वंश के समुचित रख-रखाव के लिए गोचर भूमियों व सार्वजनिक उपयोगों की अन्य भूमियों के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1/2019/18/एक-1-2019-20(29)/2017 दिनांक-18.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रेषक के रूप में डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय, मुख्य सचिव के स्थान पर त्रुटिवश सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव अंकित हो गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में प्रेषक के रूप में सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के स्थान पर डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पढ़ा जाये।

भवदीय

रेणुका कुमार  
अपर मुख्य सचिव

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग/ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।

भवदीय

जी0एस0 प्रियदर्शी  
सचिव